

प्रेषक,

राकेश वर्मा,
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
सीतापुर।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा:

माननीय जनपद न्यायाधीश,
सीतापुर।

विषय:

जनपद न्यायालय सीतापुर से प्रतिनियुक्ति पर लखनऊ स्थानान्तरण के संबंध में।


महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन है कि मेरा स्थानान्तरण जनपद गाजियाबाद से वर्ष 2018 में जनपद प्रतापगढ़ किया गया था जबकि मेरे ससुर जी (फादर इन ला) का इलाज मैक्स हास्पिटल, गाजियाबाद में चल रहा था। मेरे द्वारा वर्ष 2018 में गाजियाबाद में स्टे हुई प्रत्यावेदन किया गया था और स्थानान्तरण में वरीयता जनपद लखनऊ को दी गयी थी। वर्ष 2018 में मेरा माननीय न्यायालय द्वारा स्टे नहीं किया गया और न ही प्रथम वरीयता लखनऊ को देते हुए मेरा स्थानान्तरण जनपद प्रतापगढ़ कर दिया गया। मेरे द्वारा अपने ससुर जी (फादर इन ला) का इलाज लखनऊ में कराये जाने हेतु किराये का मकान लखनऊ में लिया गया और मेरी पत्नी अपने पिता का इलाज लखनऊ में किराये के मकान में निवास कर कराती रही। मैंने अपने बच्चों का एडमिशन लखनऊ में ही करा दिया था। जनपद प्रतापगढ़ से मैं हर सप्ताहान में आवागमन लखनऊ करता रहा। इस दौरान मेरे द्वारा लखनऊ में प्रतिनियुक्ति हेतु कई आवेदन दिये गये, लेकिन मेरी प्रतिनियुक्ति लखनऊ में नहीं की गयी। वर्ष 2021 में वार्षिक स्थानान्तरण में पुनः प्रथम वरीयता लखनऊ को दी गयी लेकिन मेरा स्थानान्तरण लखनऊ न होकर जनपद सीतापुर कर दिया गया, जबकि मेरे ससुर जी (फादर इन ला) अब नहीं रहे हैं। मेरे बच्चे अभी भी किराये के मकान में निवास करते हुए लखनऊ में पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी पत्नी बच्चों के साथ लखनऊ में निवास कर रही है। सीतापुर से लखनऊ मेरा सप्ताहान आवागमन होता है। विगत 4 वर्षों से मैं पत्नी व बच्चों से अलग रह रहा हूँ और अपने परिवार की देखभाल कर पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। जिसके कारण मेरा परिवार विघटन की स्थिति में पहुँच चुका है। मेरे द्वारा विगत चार वर्षों में 30 से अधिक आवेदन लखनऊ में प्रतिनियुक्ति हेतु किया गया, लेकिन मेरे आवेदन पर कोई विचार नहीं किया गया।

अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि मेरी नियुक्ति लखनऊ में प्रतिनियुक्ति पर करने की कृपा की जाये जिससे मैं अपने परिवार के साथ रहकर उनकी देखभाल कर सकूँ।

सादर,

भवदीय,


(राकेश वर्मा) 15/6/22
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
सीतापुर।

दिनांक: 15.06.2022